न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 108/2016

जयदीप सिंह उर्फ जयदीप सन्धू पुत्र रायवंतसिंह जाति जटसिख निवासी 31 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। –अपीलार्थी

बनाम

करणवीरसिंह पुत्र डिम्पल जाति जटसिख निवासी 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ––रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीविजयनगर

दिनांक 25.06.2015

उपस्थित–

श्री प्रीतमसिंह अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मदनसिंह चारण अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 23.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी/रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का. अ.की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वह चक 31 जीबी के मु.नं. 10 प.नं. 176/421 के कि.न. 1 से 15 की 3.795 है0 भूमि को रहन बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करे एवं मौका व रेकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। प्रार्थना पत्र का जबाव अप्रार्थी/अपीलांट ने पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 25.06.2015 को विवादित भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

23/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया जबकि वकील रेस्पो. ने अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावल का अवलोकन किया गया।

अधी.न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने वाद के निर्णय तक विवादित भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये है। यदि वाद के निर्णय तक रेकार्ड में किसी प्रकार से परिवर्तन हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ने की सम्भावना रहेगी। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर